



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-13072026-274437
CG-CG-E-13072026-274437

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3600]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3600]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

विलासपुर, 7 जुलाई, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड के अंतर्गत सूचना

का.आ. 3762(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), दिनांक 07 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1768(अ), दिनांक 07 अप्रैल, 2026 द्वारा उक्त अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले की तालुका देसाईगंज में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "गोंदिया-बल्हारशाह (चांदाफोर्ट) दोहरीकरण (240 किलोमीटर)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और चूंकि, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों अर्थात् महासागर गडचिरोली दिनांक 14 अप्रैल 2026 एवं सांध्य दैनिक गडचिरोली पत्रिका दिनांक 14 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और चूंकि, सक्षम प्राधिकारी को आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन आपत्तियों की सुनवाई की गई और उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं। और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि, इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा।

अतः यह कि केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, समस्त भारों से मुक्त होकर, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना “गोंदिया-बल्हारशाह (चांदाफोर्ट) दोहरीकरण (240 किलोमीटर)” महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले की तालुका देसाईगंज में अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना के सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-

जिले का नाम - गडचिरोली

तालुका- देसाईगंज

राज्य- महाराष्ट्र

क्र. सं.	गाँव का नाम	भूमि धारक का नाम	सर्वे नं.	7/12 समानुपात कुल क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आमगांव	ज्ञानेश्वर वामन निकम व अन्य 1	905/2	0.81	0.48
2	आमगांव	विश्वनाथ देवाजी डुंबे व अन्य 1	906/2	0.42	0.10
3	आमगांव	सेवंताबाई ज. श्रावण बोदेले	903/2	1.60	0.38
4	आमगांव	सुशिला ज. खेमराज कछवा व अन्य 1	900	1.09	0.09
5	आमगांव	जनाबाई ज. मारोती दोनाडकर व अन्य 12	1077	1.21	0.13
6	आमगांव	भगवान श्रावण बोदेले व अन्य 2	1076	1.46	0.09
				Total	1.27

1	नैनपुर	सावलदास जैकिमल नागदेवे	172	2.30	0.46
				Total	0.46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वडसा	दिपक केशवराव विधाते व अन्य 1	181/1	11.60	0.05
2	वडसा	आत्मप्रकाश किसन नागदेवे	181/2	0.36	0.06
3	वडसा	मनोहर किसनजी डांगे	180/1	5.98	0.05
				Total	0.16

1	नवीन लाडज	रेविता मधुकर कुथे व अन्य 4	18	1.25	0.09
2	नवीन लाडज	नवलाजी रघुनाथ कोल्हे व अन्य 1	19	1.36	0.06
				Total	0.15

कुल योग : 2.04 हेक्टेयर

[फा.सं. डीसीई/सी/III/जी/जी-बीपीक्यू(सीएफ)/20ड /6]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)**

Bilaspur, the 7th July, 2026

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 3762(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), No. **S.O. 1768(E), dated 7th April, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 7th April, 2026**, and issued under Sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “Gondia – Balharshah (Chanda Fort) Doubling (240 Km.)” of South East Central Railway in **Desaiganj Taluka of Gadchiroli District, Maharashtra State**.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, **Mahasagar Gadchiroli of dated 14th April 2026, and Dainik Gadchiroli Patrika of dated 14th April 2026** under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20D of the said Act, And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Copetent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land, to be acquired, with or without structures for the Special Railway Project namely “Gondia – Balharshah (Chanda Fort) Doubling (240 Km.)” in **Desaiganj Taluka of Gadchiroli District, Maharashtra State** under South East Central Railway.

Name of District - Gadchiroli		Taluka - Desaiganj		State – Maharashtra	
Sr. No.	Name of Village	Name of land holder	Survey No.	Total Area as per 7/12 (in Ha.)	Acquisition Area (in Ha.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Amgaon	Dnyaneshwar Waman Nikam & other 1	905/2	0.81	0.48
2	Amgaon	Vishwanath Dewaji Dumbe & other 1	906/2	0.42	0.10
3	Amgaon	Sewantabai J. Shrawan Bodele	903/2	1.60	0.38
4	Amgaon	Sushila J. Khemraj Kachhawa & other 1	900	1.09	0.09
5	Amgaon	Janabai J. Maroti Donadkar & other 12	1077	1.21	0.13
6	Amgaon	Bhagwan Shrawan Bodele & other 2	1076	1.46	0.09
Total					1.27

1	Nainpur	Sawaldas Jaikimal Nagdeve	172	2.30	0.46
Total					0.46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wadsa	Dipak Keshavrao Vidhate & other 1	181/1	11.60	0.05
2	Wadsa	Atmaprakash Kisan Nagdeve	181/2	0.36	0.06
3	Wadsa	Manohar Kisanji Dange	180/1	5.98	0.05
Total					0.16

1	Navin Ladaj	Revita Madhukar Kuthe & other 4	18	1.25	0.09
2	Navin Ladaj	Navlaji Raghunath Kolhe and other 1	19	1.36	0.06
Total					0.15

Grand Total : 2.040 Hac.

[F. No. DCE/C/III/G/G-BPQ(CAF)/20E/6]
MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Const.)